राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः—नर्सिग/687/भरतपुर/2024/59 दिनांकः—27-03-2024

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
धौलपुर।

विषयः—कार्मिकों के बकाया वेतन आहरण के संबंध में।
सन्दर्भः—आपका पत्रांक 687 दिनांक 04.03.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के द्वारा निदेशालय को अवगत करवाया गया है कि वर्ष 2022—23 में राज्य स्तर से हुये स्थानान्तरणों के कारण आपके अधीन कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का बकाया वेतन पद रिक्त ना होने के कारण आज दिनांक तक आहरित नहीं हुआ है एवं जिले में एवं संभाग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का एक भी पद रिक्त नहीं रहा है, जिससे कि आपके द्वारा संलग्न सूची की प्रसाविकाओं का बकाया वेतन आहरित नहीं किया जा सका है।

आपके सन्दर्भित पत्र के द्वारा संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन भरतपुर के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थानों में भी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का एक भी पद रिक्त पद नहीं रहा है एवं आपके द्वारा यूटीबी में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 53 पद रिक्त की सूचना भिजवाई गयी है। जो कि आपके सन्दर्भित पत्र की सूचना के आधार पर पूर्णतया विरोधाभासी है। एवं यह भी अवगत करावें कि आपको संभागीय स्तर पर संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन भरतपुर के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थानों में एक भी पद महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का रिक्त नहीं होने की सूचना प्राप्त होने के स्त्रोत एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन भरतपुर की सत्यापित प्रति जिसमें चिकित्सा संस्थानों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पद रिक्त नहीं रहे है की सूची निदेशालय को अविलम्ब भिजवाने का श्रम करें।

ताकि अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः—नर्सिग/687/भरतपुर/2024/ दिनांकः—

प्रतिलिपि — निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु —

1. सयुंक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन भरतपुर।
2. प्रभारी सर्वर रूम उक्त पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे ।
3. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
6152141

Signature valid
Digitally signed by R[illegible]esh Kumar Sharma
Designation : [illegible]r
Date: 2024.03.2[illegible]1:32:50 IST
Reason: Approved